प्रेस नोट

सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक- 12.11.2025

❖थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा सख्त कार्यवाही करते हुये 24 घण्टे के अन्दर छिनैती/स्नैचिंग की घटना का सफल अनावरण करते हुये 03 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।

❖अभियुक्तगण के कब्जे से चैन के 02 टुकड़े, मंगलसूत्र के 02 टुकड़े व घटना में प्रयुक्त 01 मोटरसाइकिल बरामद।

कृपया अवगत कराना है कि अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक महोदया जनपद कानपुर देहात श्रद्धा नरेन्द्र पाण्डेय के कुशल निर्देशन में दिनांक 10.11.2025 को 05 व्यक्तियों द्वारा शादी के कार्यक्रम में सम्मिलित होने आयी महिला के गले के गले से सोने की चेन व मंगलसूत्र झपट्टा मारकर भाग जाने के सम्बन्ध में वादिनी श्रीमती मालती पत्नी रामप्रकाश निवासिनी ग्राम पिपरी थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात हालपता EWS 546/697 रतनपुर कालोनी पनकी थाना पनकी जनपद कानपुर नगर द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 390/2025 धारा 304(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था। तथा दिनांक 11.11.2025 को एक मोटर साइकिल पर सवार 03 अज्ञात व्यक्तियों द्वारा एक व्यक्ति से बैग जिसमें रुपये व कागजात थे, को झपट्टा मार कर भाग जाने के सम्बन्ध में वादी मुकदमा श्री उदय प्रताप सिंह पुत्र जगरुप सिंह निवासी ग्राम असेवा थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा मु0अ0सं0 391/2025 धारा 304(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

मु0अ0सं0 390/2025 धारा 304(2) बीएनएस से संबंधित अभियुक्तगण 1. नितेश पुत्र रामअवतार उम्र 24 वर्ष 2. यजु कश्यप पुत्र देवेन्द्र उम्र 20 वर्ष 3. एक बाल अपचारी उम्र 16 वर्ष, निवासीगण ग्राम बारा, थाना अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात को थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार कर आवश्यक कार्यवाही की गयी है, जिनमें 02 अभियुक्तगण घायल हुए हैं व 01 बालअपचारी को अभिरक्षा में लिया गया है।

आज दिनांक 12.11.2025 को थाना पुलिस को चैकिंग के दौरान जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि मु0अ0सं0 390/2025 धारा 304(2)/317(2) BNS थाना भोगनीपुर में वाँछित अभियुक्तगण अपने 01 साथी के साथ पिलखिनी की तरफ से पुखरायाँ की तरफ आ रहे हैं। उक्त सूचना पर पुलिस टीम द्वारा पिलखिनी रोड की तरफ कुछ दूर चलकर जरैलापुर गाँव की ओर जाने वाले तिराहे की तरफ से आ रही मोटरसाइकिल सवार 03 व्यक्तियों को रोक लिया। जिनसे नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम मिथुन पुत्र सुखलाल निवासी ग्राम बारा थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 32 वर्ष बताया जिसकी जामा तलाशी से 11,200/- रुपये बरामद हुए। दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम मोहित गुप्ता पुत्र बालकृष्ण निवासी ग्राम बारा थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 29 वर्ष बताया। जिसकी जामा तलाशी 01 चैन के 02 टुकड़े (पीली धातु),

01 मोबाइल (OPPO कम्पनी) व 50 रुपये बरामद हुए। तीसरे व्यक्ति/बालअपचारी (उम्र करीब 16 वर्ष) की जामा तलाशी से मंगलसूत्र 02 टुकड़े में (पीली धातु) व 70 रुपये बरामद हुए।

पकडे गये व्यक्तियों से बरामद सामान व एक मोटर साइकिल नं0 UP77AP1931 (टीवीएस राइडर) के बारे में पूछने पर मिथुन उपरोक्त द्वारा बताया गया कि साहब मेरे पास जो पैसे मिले है वह मैंने व यजु ने दिनांक 24.10.2025 को मन्टोरा पुल के पास परचून की दुकान से एक महिला से एक सोने की चैन लूटी थी जिसको मैंने मोहित को 41,000 रुपये में बेचकर 15,000/- रूपये यजु को दिये थे तथा बाकी रुपये मेरे पास थे जिनमें से कुछ खर्च हो गये हैं और मेरे पास से जो आपने बरामद 11,200 रुपये बरामद किये हैं ये वही हैं।

मोहित गुप्ता ने बताया कि मुझसे जो चैन के 02 टुकड़े बरामद हुए है इसको मैने मिथुन से 41000/- रुपये में खरीदा था मुझे पता नहीं था कि यह छीनी गयी चैन है व मोबाइल ओप्पो व 50 रुपये के संबंध में बताया कि यह मोबाइल व पैसे मेरे हैं।

बाल अपचारी ने बताया कि मुझसे जो मंगलसूत्र (02 टुकड़े में) मिला है वह दिनांक 10.11.2025 को मदर इण्डिया स्कूल देवीपुर में एक बारात में एक महिला जो गले में चैन व मंगल सूत्र पहने थी, उसे यजु ने छीन लिया था। उस दिन मेरे साथ मिथुन, यजु, नाबालिग दोस्त, नितेश थे। मैं, नितेश व यजु एक मोटरसाइकिल पर थे तथा मिथुन व नाबालिग दोस्त दूसरी मोटरसाइकिल पर थे। यजु ने चैन व मंगलसूत्र नितेश को दे दिया था जिसमें नितेश ने मंगलसूत्र मुझे दे दिया था। मोटरसाइकिल के बारे में पूछा गया तो बताया कि उस दिन मैं, यजु व नितेश इसी मोटरसाइकिल पर मदर इण्डिया स्कूल देवीपुर में एक बारात में आये थे व 70 रुपये के संबंध में बताया कि यह पैसे मेरे हैं।

बरामद मोटरसाइकिल टीवीएस राइडर नम्बर UP77AP1931 दिलीप पुत्र मूलचन्द्र निवासी बारा कानपुर देहात के नाम पंजीकृत है। अभि0 मिथुन के कब्जे से बरामद 11,200 रुपये व अभियुक्त मोहित से बरामद चैन के संबंध में थाना रनियाँ में मु0अ0सं0 192/2025 धारा 304(2) BNS थाना रनियाँ कानपुर देहात पंजीकृत है। तथा विधि का उल्लघंन करने वाले बाल अपचारी के कब्जे से बरामद मंगलसूत्र के सम्बन्ध में थाना भोगनीपुर पर मु0अ0सं0 390/2025 धारा 304(2)/317(2) BNS पंजीकृत है। अभियुक्तगण को उनके जुर्म से अवगत कराते हुए जरैलापुर गाँव की ओर जाने वाले तिराहे के पास से हिरासत पुलिस में लिया गया । अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों में विधिक कार्यवाही करते हुए नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण-

1. मिथुन पुत्र सुखलाल निवासी ग्राम बारा थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 32 वर्ष
2. मोहित गुप्ता पुत्र बालकृष्ण निवासी ग्राम बारा थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 29 वर्ष
3. 01 बाल अपचारी उम्र करीब 16 वर्ष

अभियुक्त मिथुन उपरोक्त का आपराधिक इतिहास –

1. मु0अ0सं0 84/2016 धारा 363/366/376 भादवि0 व 4 पॉक्सो एक्ट थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0 60/2021 धारा 60 आबकारी अधिनियम थाना गजनेर जनपद कानपुर देहात
3. मु0अ0सं0 265/2023 धारा 323/504/506 भादवि0 थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात
4. मु0अ0सं0 192/2025 धारा 304(2) BNS थाना रनियाँ जनपद कानपुर देहात
5. मु0अ0सं0 390/2025 धारा 304(2)/317(2) BNS थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात

अभियुक्त मोहित गुप्ता उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 246/2025 धारा 13 जुआ अधिनियम थाना अकबरपुर जनपद कानपुर देहात
2. मु0अ0सं0 192/2025 धारा 304(2) BNS थाना रनियाँ जनपद कानपुर देहात

बरामदगी का विवरण-

01 चैन के 02 टुकड़े (पीली धातु), 01 मंगलसूत्र 02 टुकड़े में (पीली धातु), 11,200/ रूपये व 01 अदद मोटर साइकिल नं0 UP77AP1931 टीवीएस राइडर तथा जामा तलाशी से प्राप्त 01 मोबाइल OPPO व 120 रुपये नकद ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

थाना भोगनीपुर पुलिस